3. कुशल श्रमिकों के विकास के ज़रिए गुणवत्तापूर्ण नारियल उत्पादों का निर्माण

अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता कच्चे माल की गुणवत्ता और उत्पादन कौशल पर निर्भर करती है। गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के उत्पादन में कुशल श्रम का अभाव उद्यमियों के लिए एक बाधा है। इसलिए इस योजना का उद्देश्य नारियल उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए कुशल कार्यबल विकसित करना तथा उसके बाद उपयुक्त प्रसंस्करण इकाइयों में नियुक्त करना है।

यह कार्यक्रम नारियल प्रसंस्करण इकाइयों के सहयोग से संचालित किए जाने का प्रस्ताव है। हाल ही में चालू की गई प्रसंस्करण इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें कम से कम 10 कुशल/अर्ध-कुशल कर्मियों की आवश्यकता है। एक प्रसंस्करण इकाई में 10 प्रशिक्षुओं के एक बैच को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। तथापि, इकाई में प्रशिक्षित श्रमशक्ति को शामिल करने की क्षमता के आधार पर एक और बैच पर विचार किया जा सकता है।

यह योजना कौशल विकास कार्यक्रम के ज़रिए नारियल उत्पादों के प्रसंस्करण में कुशल श्रमशक्ति के विकास हेतु प्रस्तावित है। इस योजना का उद्देश्य नारियल उद्योग के विकास हेतु कुशल श्रमशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करना और उन्हें सुसज्जित करना है। इससे जमीनी स्तर पर श्रमिकों में गुणवत्ता के प्रति अवबोधपैदा होगा और उन्हें उत्पाद मानक गुणवत्ता के बारे में सीख मिल जाएगी। कुशल मानव संसाधन के विकास से ग्रामीण रोजगार सृजन में योगदान मिलेगा। सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रसंस्करण इकाइयों में नौकरी सुनिश्चित हो जाएगा।

प्रशिक्षण की अवधि : 1 महीना (30 दिन)

एक बैच में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या : 10

केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में प्रसंस्करण इकाइयों के तत्वावधान में प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है।

कार्यान्वयन रणनीति:

- कौशल विकास प्रशिक्षण नारियल प्रसंस्करण में लगी प्रसंस्करण कंपनियों से प्राप्त विशेष परियोजना प्रस्तावों के आधार पर किया जाएगा।
- प्रसंस्करण कंपनी चयनित आवेदकों के ब्यौरे के साथ कौशल विकास के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।
- कौशल विकास प्रशिक्षण की अवधि 1 महीना है।
- एक बैच में प्रतिभागियों की संख्या न्यूनतम 10 होनी चाहिए।
- प्रस्ताव के साथ प्रशिक्षण अनुसूची भी प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें एक महीने की अवधि में नियोजित गतिविधियों का विवरण हो।

- प्रशिक्षण आंतरिक होगा तथा प्रसंस्करण इकाई के भीतर ही कार्यगत प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद प्रसंस्करण कंपनी को खातों के निपटान के दौरान कौशल पूर्व और कौशलोत्तर मूल्यांकन परीक्षा का समेकित ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए।
- सफल उम्मीदवारों को उसी प्रसंस्करण कंपनियों या अन्य समीपवर्ती नारियल प्रसंस्करण कंपनियों द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

संसाधन संगठन के लिए योग्यताएं

प्रशिक्षण आयोजित करने वाला संसाधन संगठन नारियल उत्पादों के प्रसंस्करण में शामिल सरकारी एजेंसियों/ सहकारी समितियों/ एफपीओ/ उद्यमियों द्वारा स्थापित प्रसंस्करण इकाई हो सकती है।

- वैध उद्योग पंजीकरण / उद्योग आधार होना चाहिए
- नारियल उत्पादों का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया हो
- कम से कम 10 श्रमिकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता हो
- एफएसएसएआई (FSSAI) प्रमाणन हो
- आईएसओ 9001/ आईएसओ 14001/ आईएसओ 22000/एफएसएससी 22000/एचएसीसीपी जैसे गुणवत्ता प्रमाणन वांछनीय हों

मास्टर प्रशिक्षक की योग्यता और अनुभव

- मास्टर प्रशिक्षक को संसाधन संगठन का नियमित/ठेके कर्मचारी होना चाहिए।
- उनको नारियल प्रसंस्करण गतिविधियों में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- अच्छा संप्रेषण कौशल रखें

आवेदन के लिए पात्रता मानदंड

- 18 वर्ष से अधिक आयु
- आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए
- बेरोज़गार/ अल्प रोज़गार

कार्यान्वयन कार्यक्रम :

औपचारिक शिक्षा एवं विपणन योग्य कौशल का अभाव और गरीबी के कारण उत्पन्न अन्य बाधाएं ग्रामीण युवाओं को आज के नौकरी बाजार में महत्वपूर्ण प्रवेश पाने से रोक रहा है। उसी समय उद्योग को कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है, जिसकी भारी कमी है। इस संदर्भ में प्रस्तावित कौशल विकास कार्यक्रम की अहमियत बढ़ जाती है। प्रसंस्करण

इकाइयों के तत्वावधान में ही रोज़गार योग्य युवाओं को विशेष कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अपेक्षित कौशल प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण आंतरिक और कार्यगत है और इससे प्रशिक्षणार्थियों का वाणिज्यिक वातावरण में काम करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है, जहां समय और धन के प्रत्येक निवेश अंतिम लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा यह भी संभावना है कि सफल उम्मीदवारों को कंपनी द्वारा नियुक्ति भी दी जाएगी। इसके अलावा दो या तीन कंपनियाँ मिलकर एक ही स्थान पर प्रशिक्षण देकर कुशल श्रमिकों की अपनी जरूरतों को पूरा कर सकती हैं।

यह प्रस्तावित कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट कार्यक्रम आवश्यकता आकलन पर आधारित है। संसाधन संगठन आवश्यकता आकलन के आधार पर कौशल विकास हेतु संभावित आवेदकों को संगठित करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्व स्क्रीनिंग और काउंसलिंग प्रक्रिया होगी कि कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित आवेदक इस क्षेत्र में बने रहेंगे और प्रसंस्करण इकाई में शामिल होंगे। प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम कार्यगत ही होगा। सामाजिक रूप से वंचित समूहों, पूर्वोत्तर के युवाओं आदि को भी कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। कंपनी प्रदत्त कौशल के संबंध में रोजगार योग्यता का आकलन करने के लिए अंतिम मूल्यांकन करेगी जिसके बाद इकाई में प्लेसमेंट की पेशकश की जाएगी।

प्रति बैच अनुमानित लागत इस प्रकार है:

क्र.सं.	**ब्यौरा**	**इकाई लागत (रु.)**	**कुल लागत (रु.)**	**टिप्पणियाँ**
1	10 प्रशिक्षुओं के लिए भोजन एवं आवास	250	75,000 (10 प्रशिक्षु x 30 दिन x 250 रु.)	प्रत्यक्ष लाभार्थी अंतरण
2	मास्टर प्रशिक्षक के लिए मानदेय	20,000	20,000	प्रत्यक्ष लाभार्थी अंतरण
3	प्रशिक्षुओं के लिए कार्यस्थल पर प्रशिक्षण वृत्तिका	150	45,000 (10 प्रशिक्षु x 30 दिन x 150 रु.)	प्रत्यक्ष लाभार्थी अंतरण
4	उपभोग्य वस्तुएं, पाठ्यक्रम सामग्री, पूर्व और पश्चात मूल्यांकन कौशल परीक्षा आदि		7,000	कंपनी को सीधे प्रतिपूर्ति
5	अन्य विविध खर्च और आकस्मिक व्यय		3,000	
	एक प्रशिक्षण के लिए कुल लागत		**1,50,000**	**1,50,000**

प्रशिक्षणार्थियों को भोजन और आवास के लिए भत्ता और वृत्तिका प्रत्यक्ष लाभार्थी अंतरण के द्वारा दिया जाएगा।

कंपनी द्वारा बोर्ड को तथा अभ्यर्थियों द्वारा कंपनी को आवेदन पत्र तथा कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम अनुबंध में संलग्न हैं।

अनुबंध -1

प्रसंस्करण हेतु कुशल श्रमशक्ति विकास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र

1	उद्यम का नाम	
2	कार्यालय का पता	
3	फैक्टरी का पता	
4	दूरभाष और ईमेल	
5	उद्यम का संविधान	प्रोपाइटर/ साझेदारी/ कंपनी/ सोसाइटी/ अन्य
6	प्रमोटर का नाम, पता और संपर्क ब्यौरा	
7	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क ब्यौरा	
8	ईएम संख्या दिनांक या यूएएन संख्या दिनांक	
9	निर्मित/प्रसंस्कृत उत्पाद	
9 क	मुख्य उत्पाद	
9 ख	सह-उत्पाद और उप-उत्पाद, यदि कोई हो	
10	मुख्य उत्पाद की स्थापित क्षमता	
10 ख	पिछले वर्ष के दौरान क्षमता उपयोग (प्रतिशत में)	
11	श्रमशक्ति की आवश्यकता	
	क. प्रबंधकीय ग्रेड	
	ख. पर्यवेक्षी ग्रेड	
	ग. कुशल श्रमशक्ति	
	घ. अर्ध कुशल श्रमशक्ति	
	ङ. अकुशल श्रमशक्ति	
12	प्रसंस्करण इकाई में वर्तमान में उपलब्ध श्रमशक्ति का ब्यौरा	
	क. प्रबंधकीय ग्रेड	
	ख. पर्यवेक्षी ग्रेड	
	ग. कुशल श्रमशक्ति	
	घ. अर्ध कुशल श्रमशक्ति	
	ङ. अकुशल श्रमशक्ति	
13	इकाई का निर्मित क्षेत्रफल	

	(वर्ग फीट या वर्ग मीटर में)	
14	परिसर का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में या सेंट में)	
15	मास्टर प्रशिक्षक का विवरण	
	क. शैक्षिक योग्यता	
	ख. प्रशिक्षक के रूप में अनुभव (वर्षों/महीनों में)	
	ग. कुशल कर्मचारी के रूप में अनुभव (वर्षों/महीनों में)	
16	एक बैच में दाखिल प्रशिक्षुओं की संख्या	
17	प्रशिक्षुओं को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित आवासीय सुविधा का ब्यौरा	
18	क्या इकाई में कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्या प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रस्तावित है?	
19	प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए कितने दिन की अग्रिम सूचना आवश्यक है?	
20	क्या आप अपने इकाई या आसपास की इकाइयों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने वाले सभी प्रशिक्षुओं को प्लेसमेंट का आश्वासन देने में सक्षम हैं?	

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए ब्यौरे मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

हस्ताक्षर

दिनांक........... नाम ....

स्थान............ पदनाम..........................

मोहर

"कुशल श्रम के विकास के ज़रिए गुणवत्तापूर्ण नारियल उत्पादों का निर्माण" कार्यक्रम के तहत कौशल विकास के लिए उम्मीदवार द्वारा आवेदन

1. अभ्यर्थी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : ....
2. पिता/पति का नाम :....................................
3. स्थायी पता :...

   जिला : ....

   राज्य : ....पिन ....
4. वर्तमान पता :

   जिला : ....

   राज्य : ....पिन ....
5. जन्मतिथि : ....
6. लिंग - (कृपया टिक मार्क करें) : पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर
7. वैवाहिक स्थिति - (कृपया टिक मार्क करें) : विवाहित/ अविवाहित
8. जाति: सामान्य/अ.जाति/अ.जनजाति/अ.पि.वर्ग

   (उपयुक्त प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
9. वर्तमान स्थिति - (कृपया टिक मार्क करें) : छात्र / बेरोजगार / स्वरोजगार / रोजगार युक्त
10. शैक्षिक योग्यता: (निरक्षर / साक्षर / मैट्रिकुलेट / उच्चतर माध्यमिक / स्नातक / स्नातकोत्तर / अन्य (निर्दिष्ट करें)
11. ज्ञात भाषाएँ - (कृपया सही का निशान लगाएँ) :

	बोलना	पढ़ना	लिखना
हिंदी	....	....	....
अंग्रेज़ी	....	....	....
स्थानीय(निर्दिष्ट करें)................	....	....	....

12. आधार संख्या : ....

    (आधार प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
13. बैंक खाता ब्यौरा : खाता संख्या ....

    बैंक एवं शाखा का नाम ....

    आईएफएस कोड ....

    मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

दिनांक : ....

स्थान : ....   अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

अनुबंध

प्रसंस्करण हेतु कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

<u>प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम ब्यौरा</u>

प्रशिक्षण अवधि - 30 दिन

प्रतिभागियों की संख्या - 10

मास्टर प्रशिक्षक की संख्या - 1

<u>प्रसंस्करण हेतु कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश</u>

अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता कच्चे माल की गुणवत्ता और उत्पादन कौशल पर निर्भर करती है। गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के उत्पादन में कुशल श्रम उद्यमियों के लिए एक बाधा है। इस योजना का उद्देश्य नारियल उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए कुशल कार्यबल विकसित करना है। पूर्वोत्तर में कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, तत्पश्चात उपयुक्त प्रसंस्करण इकाइयों में नियुक्ति की जाएगी। यह कार्यक्रम नारियल प्रसंस्करण इकाइयों के सहयोग से आयोजित किए जाने हेतु प्रस्तावित है। एक प्रसंस्करण इकाई में 10 प्रशिक्षुओं के एक बैच को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। प्रसंस्करण में कुशल श्रमशक्ति के विकास के लिए एक प्रसंस्करण इकाई को अधिकतम 2 प्रशिक्षणों के साथ समर्थन किया जा सकता है। दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

1. प्रशिक्षण दो सत्रों में विभाजित होगा:
   - क. तकनीकी और प्रबंधकीय सत्र
   - ख. कौशल विकास के लिए व्यावहारिक सत्र
2. इकाई में निर्मित उत्पाद से संबंधित विषयों को तकनीकी और प्रबंधकीय सत्रों में शामिल किया जाना है।
3. मास्टर प्रशिक्षक कौशल विकास पर व्यावहारिक सत्रों का संचालन करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सत्र समय पर शुरू हों, प्रशिक्षण में विषयों को पूरी तरह से शामिल किया जाए और प्रशिक्षु नियमों का पालन करें।
4. प्रसंस्करण इकाई प्रशिक्षण के लिए 10 संभावित उम्मीदवारों की पहचान करेगी।

प्रशिक्षणार्थियों को भोजन और आवास के लिए भत्ता और प्रत्यक्ष लाभार्थी अंतरण के द्वारा स्टाइपेंड अदा किए जाएंगे।

क. तकनीकी और प्रबंधकीय सत्र – 1 सप्ताह की अवधि

सत्र सं.	विषय
I	औजारों और उपकरणों की पहचान और उनका विशेष उपयोग
II	बुनियादी प्रसंस्करण उपकरणों की पहचान (हल्के और भारी)
III	औजारों एवं उपकरणों की सफाई, रखरखाव एवं भंडारण
IV	व्यक्तिगत स्वच्छता: शरीर के विभिन्न अंगों की सुरक्षा
V	कार्य क्षेत्र स्वच्छता प्रक्रिया और उसका महत्व
VI	व्यावसायिक खतरे और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, सामाजिक सुरक्षा का महत्व

ख. व्यावहारिक निदर्शन

सत्र सं.	विषय
I	धुलाई और सफाई
II	खाद्य एवं खाद्येतर भागों का पृथक्करण
III	छीलना, खोपड़ी निकालना, कद्दूकस, ब्लांचिंग, ग्रेडिंग, छंटाई, पीसना, काटना, सुखाना, पैकिंग आदि

ग. नौकरी पर प्रशिक्षण - 4 सप्ताह की अवधि

मास्टर प्रशिक्षक के पर्यवेक्षण पर प्रशिक्षणार्थियों को 4 हफ्ते (24 दिन) कार्यगत प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

सत्र सं.	विषय
सप्ताह I	अभ्यास सत्र - धुलाई और सफाई, खाद्य और खाद्येतर भागों का पृथक्करण, छीलना, खोपड़ी निकालना, कद्दूकस, ब्लांचिंग, ग्रेडिंग, छंटाई, पीसना, काटना, सुखाना, पैकिंग आदि
सप्ताह II	
सप्ताह III	
सप्ताह IV	

प्रशिक्षण की अनुमोदित लागत

क्र.सं.	ब्यौरा	इकाई लागत (रु.)	कुल लागत (रु.)
1	10 प्रशिक्षणार्थियों के लिए भोजन एवं आवास	250	75,000
2	मास्टर प्रशिक्षक के लिए मानदेय	20,000	20,000
3	प्रशिक्षणार्थियों के लिए कार्यगत प्रशिक्षण वृत्तिका	150	45,000
4	उपभोग्य वस्तुएं, पाठ्यक्रम सामग्री, पूर्व और पश्चात मूल्यांकन कौशल परीक्षण आदि		7,000
5	अन्य विविध व्यय और आकस्मिकताएं		3,000
	एक प्रशिक्षण के लिए कुल लागत		**1,50,000**

प्रशिक्षणार्थियों को भोजन और आवास के लिए भत्ता और प्रत्यक्ष लाभार्थी अंतरण के द्वारा स्टाइपेंड अदा किए जाएंगे।